प्रेषक,

चन्द्र पाल–द्वितीय
प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
बांदा।

सेवा में,

माननीय महानिबन्धक,
माननीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

द्वारा– माननीय जनपद न्यायाधीश,
बांदा।

विषय– **प्रार्थी को आवंटित मकान को स्थानान्तरित अधिकारी द्वारा खाली न करने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

विनम्र निवेदन है कि प्रार्थी का स्थानान्तरण माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा दिनांक 13.04.2024 को विशेष न्यायाधीश (ई0सी0एक्ट), प्रयागराज के पद से प्रथम अपर जिला जज बांदा के पद पर हुआ है। प्रार्थी ने दिनांक–16.04.2024 को जनपद बांदा मे कार्यभार ग्रहण किया और जनपद बांदा मे प्रार्थी को शासकीय आवास संख्या–जे–16 जजेज कम्पाउण्ड कचेहरी परिसर बांदा आवंटित किया गया, इस शासकीय आवास मे श्री कमरूज्जमा खांन तत्कालीन प्रथम अपर जिला जज बांदा निवास करते थे, इनका स्थानान्तरण जनपद बांदा से जनपद लखनऊ हो गया। मेरे द्वारा जज साहब श्री कमरूज़्ज़मा खांन से कई बार फोन पर सम्पर्क किया गया, उन्होनें प्रार्थी को यह बताया कि दिनांक 15.05.2024 तक उक्त आवास खाली कर देगें, इसके पश्चात प्रार्थी द्वारा दिनांक 15.05.2024 को जनपद प्रयागराज का राजकीय आवास खाली करके दिनांक 16.05.2024 को अपना समस्त सामान लेकर बांदा आया, परन्तु जनपद बांदा के उक्त आवास मे मुझे दो कमरे ही खाली करके दिये गये,ड्राइंग रूम व उससे लगे कमरे का ताला बंद करके जज साहब श्री कमरूज्जमा खांन चले गये, और कहा कि एक–दो दिन मे अपना सामान ले जायेगें। प्रार्थी ने दिनांक 17.05.2024 को श्री कमरूज़्ज़मा खांन जज साहब से फोन पर बात की तो उन्होनें सामान ले जाने व आवास खाली करनें की कोई बात नही की और कहा कि यदि मै चाहू तो 02 महीने तक भी आवास खाली नही करूँगा, तो प्रार्थी ने कहा कि मै माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद पत्र लिखूँगा तो जज साहब ने धमकी दी कि मै भी आपके विरूद्व हाई कोर्ट पत्र लिखूँगा और फोन पर मेरे साथ अच्छा व्यवहार नही किया। मेरा आधा सामान बाहर व आधा सामान गैरेज मे रखा है, जो खराब हो रहा है। प्रार्थी की पत्नी बीमार रहती है, दोनो बच्चे साथ मे रहते है। श्री कमरूज्जमा खांज अपर जिला जज लखनऊ के द्वारा दिनांक 15.05.2024 को ही मकान खाली करनें का प्रार्थनापत्र माननीय जनपद न्यायाधीश बांदा को दे रखा है। माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश के अनुपालन मे प्रार्थी ने प्रयागराज का आवास दिनांक 15.05.2024 तक खाली कर दिया है।

जनपद बांदा मे मेरे पक्ष मे आवंटित मकान संख्या–जे–16 जजेज कम्पाउण्ड कचेहरी परिसर बांदा को पूर्वाधिकारी श्री कमरूज्ज़मा खान द्वारा खाली न करने के कारण मेरे परिवार को आर्थिक, शारीरिक व मानसिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

अतः माननीय महोदय से विनम्र निवेदन है कि मेरे पक्ष मे आवंटित मकान संख्या–जे–16 जजेज कम्पाउण्ड कचेहरी परिसर बांदा को खाली कराने हेतु उचित दिशा–निर्देश पारित करनें की कृपा करें।

सादर!

भवदीय,

Chandrapal

(चन्द्र पाल–द्वितीय) 29.5.2024

दिनांक–29.05.2024

प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
बांदा।

Office of the District Judge, Banda
No. 1653/XV Dated 29.05.2024
FORWARDED

District Judge
BANDA